न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 06 / 2023 दायर दिनांकः 20.01.2023.

उनवान

1. देवीलाल पुत्र नारायण जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. अंकितकुमार पि. योगेशकुमार जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल
2. अशोककुमार पुत्र भारमल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल
3. लीलाबाई पत्नी स्व० योगेशकुमार जाति दांगी नि. सलोतिया तह. सुनेल
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़
5. सरपंच ग्राम पंचायत सलोतिया पं०स० मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड़

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

वकील वादी – श्री पूरीलाल राठौर
वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 – श्री सुभाष दांगी
प्रतिवादी सं. 4 – पेरोकार सरकार
प्रतिवादी सं. 5 – एकतरफा

निर्णय दिनांक : 10.06.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि यह कि ग्राम सलोतिया पटवार हल्का सलोतिया तहसील सुनेल में खसरा नम्बर 579 क्षेत्रफल 1.9096 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी सह खातेदार है जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न है राजस्व अभिलेख नक्शा के अनुसार इसके संलग्न खसरा नम्बर 577 तथा खसरा नम्बर 577 के संलग्न खसरा नम्बर 578 की भूमि स्थित है। यह कि खसरा नम्बर 579 का क्षेत्रफल 1.9096 हैक्टर, खसरा नम्बर 577 का क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर है। खसरा नम्बर 577 का क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर का जो नक्शा बना हुआ है उसका मौके पर क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर का नही है अपितु इसके संलग्न खसरा नम्बर 578 का क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर हैं। खसरा नम्बर 577 एक लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है जो ग्राम सलोतिया की ओर स्थित एक काफी लम्बी पट्टी की आकृति से मिलता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

1/2

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी चोड़ाई भी इसके ही सामानान्तर हैं जो रास्ते के रूप में उपयोग आती हैं। चरण कम 4 के अनुसार दोनो सामानान्तर पट्टियों रास्ते को दर्शाती है, राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 577 के वर्तमान खातेदारों की भूमि खसरा नम्बर 578 होने की प्रबल संभावना हैं जिसका कारण यह है कि–

(अ) खसरा नम्बर 577 का क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर का जो नक्शा बना हुआ है उसका मोके पर क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर का नही है अपितु इसके संलग्न खसरा नम्बर 578 का संभवत् क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टर हैं।

(ब) चरण कम 4 के अनुसार दोनो सामानान्तर पट्टियाँ रास्ते को दर्शाती है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में ही हमेशा से होता आया हैं।

राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टियों का प्रभाव यह हो रहा कि–

(अ) कारण खसरा नम्बर 577 के खातेदार अपनी भूमि के क्षेत्रफल को देखते हुए वादी की जमीन की ओर बढ़ रहे हैं जिससे वादी की भूमि मोके पर उसके क्षेत्रफल से कम हो रही हैं।

(ब) खसरा नम्बर 577 एक लम्बी पट्टी के रूप में स्थित है जो ग्राम सलोतिया की ओर स्थित एक काफी लम्बी पट्टी की आकृति से मिलता है जिसकी चोड़ाई भी इसके ही सामानान्तर हैं जो रास्ते के रूप में उपयोग आती हैं इस सामानान्तर पट्टी पर ग्राम पंचायत रास्ता बनाती हुई खसरा नम्बर 577 की सीमा तक तो आती है किन्तु यहाँ से वह खसरा नम्बर 577 में नहीं जाकर उसका घुमाव खसरा नम्बर 579 में करने हेतु प्रयासरत है जहाँ पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त की भूमि स्थित है जिसका परिणाम भी यह होगा कि वादी की ख.न. 579 की अधिकाशः भूमि रास्ते में चली जावेगी जिससे भी वादी की भूमि मोके पर उसके क्षेत्रफल से कम हो रही हैं। इनके साथ ही विशेष तथ्यं यह भी है कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 579 है जिसका किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 578 से जुड़ाव नही है उसके बावजूद भी तहसीलदार सुनेल उसको अतिक्रमण के नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी कर रहा हैं। यह कि कमागत सिद्धान्त की अपेक्षा भी यही रहता है कि [illegible] 577 के उपरान्त खसरा नम्बर 578 आता है उसके [illegible] 579 आता है किन्तु यहाँ तो खसरा नम्बर 578 [illegible] है मौका में 577 उसके उपरान्त खसरा नम्बर 579 आ रहा है, यदि इस [illegible] को सही कर 577,578

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

व 579 कर दिया जावे तो सारी समस्या ही हल हो जावेगी। तदनुसार पक्षकारान की समस्या का हल किया जाना आवश्यक हैं। यह कि प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा पहल करते हुए अपने नम्बर के विवरण को उक्तानुसार रूप से सही नही करवाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त प्रविष्टियों के विवरण को सही नही किए जाने तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा वादी के खेत में रास्ता बनाये जाने हेतु प्रयासरत है जिससे वादी के खातेदारी हक, आधिपत्य व आराजी की प्रकृति से संबंधी वैधानिक अधिकारों को गंभीर क्षति कारित करने की स्थिति में है जिससे वादी के वैधानिक अधिकारों को अपरिमित क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में संभव नही होगा जिसके निवारण के लिए प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 को स्थायी व्यादेश से रोका जाना आवश्यक है। यह कि वादपत्र के चरण कम 9 में वर्णित उक्त समस्या का हल करने के लिए वादी द्वारा सभी पक्षकारान का नोटिस 24ध्25—8—2022 को भिजवाकार समस्या का विधिवत हल करने का निवेदन किया किन्तु नोटिस में वर्णित म्याद के निकल जाने पर भी वादी द्वारा निर्देशित समस्यां पर कोई ध्यान नही दिया गया। जिस कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। यह कि विवादित आराजी इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता में स्थित होने से वाद की अधिकारिता माननीय न्यायालय में निहित है तथा इसकी श्रवणक्षेत्र की एकमात्र अधिकारिता भी इसी न्यायालय में निहित हैं। यह कि वाद निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत हैं। यह कि वाद कानूनी रूप से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हैं। अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण निम्न अनुतोष का दावा करता हूँ कि:—

(अ) वादपत्र के चरण कम 1 कम 8 के अनुसार कमागत सिद्धान्त की अपेक्षानुसार खसरा नम्बर 578 खसरा नम्बर 577, खसरा नम्बर 579 को सही कर 577,578 व 579 कर दियै जाने की घोषणा की जावे साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को वादी के खाते कब्जे काश्त में स्थित भूमि खसरा नम्बर 579 में किसी भी प्रकार से प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 तथा इनके कोई प्रतिनिधि, इनके अनुयायी या इनकी ओर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से विघ्न कारित करने से स्थायी रूप से रोका जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में उचित समझे नियमानुसार पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से **जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम** पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सालोतिया के खसरा न. 579 के वादी सहीत आठ खातेदार दर्ज है, जिसमे वादी का केवल 1/4 हिस्सा है। अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना धारा 88 आर टी. एक्ट घोषणा का दावा चलने योग्य है। राजस्व सेग्रीगेशन आन लाईन प्रक्रिया के दोरान प्रतिवादी न. 1, 2, 3 की खातेदारी के खसरा न. 577 रकबा 2.0361 हैक्टेयर के स्थान पर आन लाईन नक्शा मे खसरा न. 578 पतली पटी वाला गलत दर्ज हो गया है, जो नक्शे में शुद्ध दर्ज होने योग्य है। हल्का पटवारी के पास नक्शा ट्रेस मे आज दिनांक तक भी खसरा न. 578 सही स्थान पर दर्ज है। यह कि पेरा न. 2 के तथ्य राजस्व रेकार्ड से सम्बधित है, वादी साबित करें। खसरा न. 577 आन लाईन नक्शे में खसरा न. 578 के स्थान पर दर्ज हो रहा है ओर खसरा न. 578 नक्शे में खसरा न. 577 के स्थान पर गलत दर्ज हो गये है, जो आन लाईन नक्शे में शुद्ध व सही दर्ज किया जाना न्यायेचित है। यह कि पेरा न. 3 के जवाब में लेख है कि राजस्व रेकार्ड सेग्रीगेशन के दोरान आन लाईन नक्शे मे खसरा न. 577 के स्थान पर खसरा न. 578 व खसरा न. 578 के स्थान पर खसरा न. 577 गलत दर्ज 202 गये है। खसरा न. 577 रकबा 2.0361 हैक्टेयर प्रतिवादी न. 1, 2, 3 की खातेदारी का आन लाईन नक्शे मे शुद्ध दर्ज किये जाने योग्य है। यह कि नक्शे आन लाईन होते समय गलत दर्ज हो गये है, लम्बी पटी के रूप में स्थित खसरा न. 578 बंजड नाकाबिल काश्त है ओर प्रतिवादी की खातेदारी में खसरा न. 577 के बजाय आन लाईन नक्शे मे खसरा न. 578 गलत दर्ज हो गया है। लम्बी पटी वाला खसरा न. 578 नाकाबिल काश्त बंजड़ भूमि है, जिस पर मौके पर रास्ता ग्रेवल बना हुआ है ओर शेष पर वादी ने अतिक्रमण कर रखा है। यह कि आन लाईन नक्शे मे खसरा न. 577 के स्थान पर खसरा न. 578 व खसरा न. 578 के स्थान पर खसरा न. 577 गलत दर्ज हो गया है। खसरा न. 577 प्रतिवादी न. 1, 2, 3 के खातेद[illegible] काश्त का है, जिसका क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टेयर है। यह कि खसरा [illegible] का क्षेत्रफल 2.0361 हैक्टेयर होना गलत है, जो आन लाईन नक्शे [illegible] 577 के स्थान पर गलत दर्ज हो गया है। यह कि मौके पर [illegible]म्बि पटी वाला खसरा न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

578 बंजड नाकाबिल काश्त है, जो रास्ते के उपयोग मे आता है ओर खसरा न. 568, 170, 163 मौके पर रास्ता होकर आग सड़क खसरा न. 164 तक जाता है। अ. यह कि उक्त पेरा के तथ्य गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। वादी का कोई क्षेत्रफल कम नही हो रहा है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच मौके पर खसरा न. 578 बंजड़ ग्रेवल रास्ता मौझूद है। यह कि राजस्व सेग्रीगेशन के दोरान आन लाईन नक्शे मे खसरा न. 577 के स्थान पर खसरा न. 578 गलत दर्ज हो गये है। ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर मौझूद रास्ता पर ही ग्रेवल रास्ता बनाया है, जिस पर भी वादी अतिक्रमण कर अवरोध कर रहा है। यह कि वादी द्वारा जबरन खसरा न. 578 सरकारी बंजढ़ रास्ता पतली पटटी पर मौके पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रहा है, जिस कारण धारा 91 के नोटिस सही जारी कर रहे है फिर भी अतिक्रमण वादी का जारी है। यह कि उक्त पेरा आशिक स्वीकार है। आन लाईन नक्शे में खसरा नं. 578 के स्थान पर खसरा न. 577 व खसरा न. 578 के स्थान खसरा नं. 577 नक्शे में शुद्ध दर्ज किये जाने योग्य है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य बनावटी, निराधार व भ्रामक दर्ज होने से सभी तथ्य अस्वीकार है। वादी स्थायी व्यादेश पाने का पात्र नहीं है।. यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत हैं, अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरा कानूनी है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य गलत है, अस्वीकार है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य गलत है, अस्वीकार है। चाहा गया अनुतोष स्थायी व्यादेश गलत है, अस्वीकार है। **काउण्टर क्लेम व विशेष कथन**– यह कि राजस्व रेकार्ड सेग्रीगेशन आन लाईन प्रकिया के दौरान प्रतिवादी न. 1. 2. 3 की खातेदारी के खसरा न. 577 रकबा 2.0361 हैक्टेयर के स्थान पर आन लाईन नक्शे मे खसरा न. 578 जो मौके पर सरकारी बंजड़ ग्रेवल रास्ता है, गलत दर्ज हो गया है। खसरा न. 578 के स्थान पर खसरा न. 577 आन लाईन नक्शे में प्रतिवादी न. 1, 2, 3 के खातेदारी में सही शुद्ध दर्ज किये जाने योग्य है। यह कि खसरा न. 578 मौके पर लम्बी पटटी व ग्रेवल रास्ता सरकारी बंजड़ है, जिस पर वादी ने अति[illegible] है ओर रास्ते को अवरूद्ध कर प्रतिवादीगण [illegible] अवैध प्रयास में है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतिक्रमी [illegible] व्यादेश पाने का पात्र नही है। यह कि पटवारी हल्का के रेकार्ड [illegible] में आज भी खसरा न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

577 सही स्थान पर दर्ज है ओर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड आन लाईन नक्शा मे शुद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व सेग्रीगेशन के दौरान आन लाईन नक्शे में खसरा न 577 के स्थान पर खसरा न. 578 गलत दर्ज हो जाने से उन्हें आन लाईन नक्शे में खसरा न. 578 के स्थान पर खसरा न. 577 रकबा 2.0361 हैक्टेयर प्रतिवादी न. 1, 2, 3 की खातेदारी में शुद्ध व सही दर्ज किये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण को दिलाने की कृपा करें।

3. प्रतिवादी सं. 5 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आंदेशिका दिनांक 30.01.2025 को प्रतिवादी सं. 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रतिवादी सं. 4 पेरोकार सरकार की ओर से पत्रांक राजस्व/2025/449 दिनांक 30.04.205 से जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक नक्शा लटठा ख.नं. 677 रकबा 2.0361 है. है जबकि मुताबिक आनलाईन नक्शा लटठा 578 है जो गलत है जो कि तहसील आनलाईन करते समय सहवन से हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार अंकित कुमार पि. योगेश कुमार हि. 1/4 जाति दांगी सा.देह, अशोक कुमार पि. भारमल हि. 1/2 जाति दांगी, लीलाबाई पत्नि योगेश कुमार हि. 1/4 जाति दांगी सा.देह खातेदार के ख.नं. 577 रकबा 2.0361 है. किस्म माल दायेम खाते दर्ज है एवं ख.नं. 578 रकबा 0.2276 है. किस्म नाकाका खाता सरकार दर्ज है। मुताबिक नक्शा लटठा खातेदार मौके पर काबिज है किन्तु आनलाईन नक्शा बनाते समय नं. अंदाजी में सहवन से नक्शो में ख.नं. 577 के स्थान पर ख.नं. 578 व 578 के सथान पर 577 दर्ज हो गया है जो कि गलत है। इस प्रकार मौके कब्जे अनुसार एवं नक्शे लटठे में खसरो की रकबा बरारी करने से पुष्टि अनुसार आनलाईन नक्शे में 578 के स्थान पर 577 एवं 577 के स्थान पर 578 किया जाना [illegible] गा।

5. वादी की ओर से प्रतिवादी सं. 1 से 3 [illegible] काउन्टर वाद का जवाब पेश कर निवेदन किया कि काउंटर वाद की [illegible] कम 1 सही है। काउन्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

वाद के चरण क्रमांक 2 अस्वीकार है, वादी द्वारा कोई अतिक्रमण किसी भूमि पर नहीं किया है। काउन्टर वाद का चरण क्रमांक 3 सही है। अतः जवाब काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउन्टर वाद में चाहा जाने वाला अनुतोष में वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

6. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सलोतिया के खाता सं. 1, 8, 196 की जमाबंदी सं. 2074–77 की नकले, नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा जारी धारा 91 के 7 नोटिसों की असल प्रति, धारा 109 राज.पंचायत राज. अधि. एवं धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति, खसरा नक्शा दिनांक 22.04.2025 प्रस्तुत की।

7. प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से ट्रेस लटठा नक्शा दिनांक 27.11.2024, ग्राम सलोतिया का खाता सं. 263 जमाबंदी सं. 2070–73 व वादग्रस्त आराजी का आनलाईन खसरा नक्शा की छायाप्रति पेश की।

8. उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर सीधी बहस सुनने का निवेदन किया। वादी के वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब पत्र मय काउन्टर वाद एवं जवाबुल जवाब में कोई स्पष्ट विरोध नहीं होने से प्रकरण के निस्तारण हेतु अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सीपीसी तनकियात कायम करने की आवश्यकतां नहीं हुई। आदेश 14 नियम 1 के प्रावधान निम्नानुसार है – **O 14 R1 . Framing of issues** - **(1)** Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other, **(2)** Material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defence, **(3)** Each material proposition affirmed by one party denied by the other shall form the subject of distinct issue.

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सलोतिया के आनलाईन नक्शे के अनुसार [illegible] ग्राम सलोतिया स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 579 रकबा 1.9096 है. के लगवा उत्तर दिशा में प्रतिवादीगणं की भूमि ख.नं. 577 रकबा 2.03061 है. स्थित है। प्रतिवादीगण की भूमि के लगवा उत्तर दिशा में सरकारी भूमि ख.नं. 578 रकबा 0.2276 है. स्थित है। अतः वादी की भूमि से लगवा प्रतिवादीगण की भूमि है और सरकारी भूमि ख.नं. 578 दूर स्थित है। फिर भी पेरोकार सरकार द्वारा वादी को सरकारी भूमि ख.नं. 578 पर अवैध अतिक्रमी बताकर बेदखली हेतु विगत कई वर्षो से **अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन** विधि विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है और वादी पर जुर्माना जमा करवाने के लिए गैर कानूनी दबाव बनाया जाता है **जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन किया जा रहा है और वादी को अपूरनीय क्षति कारित की जा रही है।** प्रतिवादी सं. 4 पेरोकार सरकार की भूमि पर वादी ने नहीं बल्कि प्रतिवादी ने अतिक्रमण कर रखा है। फिर भी पेरोकार सरकार द्वारा मौके पर ख.नं. 578 का सीमाज्ञान किये बिना वादी को अतिक्रमी मानकर मनमानी कार्यवाही की जा रही है।

10. वादी द्वारा वाद पेश करने से 6 माह पूर्व प्रतिवादी सं. 4 पेराकार सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया गया। उसके बावजूद भी पेराकार सरकार ने मनमानी करते हुए बिना सीमाज्ञान के वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की जा रही है। अतः सीमाज्ञान कर अकिम्रण पाये जाने पर सरकार को प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

11. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि आनलाईन नक्शे में ख.नं. 577 रकबा 2.0361 है. का खसरा नक्शा बहुत छोटा जबकि कम रकबे वाले सरकारी ख.नं. 578 रकबा 0.2276 है. का नक्शा गलत तरीके से बहुत बढा कर रखा है। रकबे अनुसार ख.नं. 577 का नक्शा ख.नं. 578 के नक्शे से करीब 9 गुना बढा होना चाहिए। आनलाईन नक्शे में ख.नं. 577 वादी की आराजी के लगवा उत्तर में अंकित कर रखा है जबकि लटठा नक्शा और मौके पर वादी की भूमि के लगवा सरकारी भूमि ख.नं. 578 एक पटटी के रूप में अंकित है। ग्राम सलोतिया के मूल लटठा नक्शा में ख.नं. 577 व 578 के नक्शे की साईज व आकार और स्थिति सही दर्ज है। सरकार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

सेग्रिगेशन के दौरान नक्शे में की गई गलती के लिए वादी को परेशान किया जा रहा है। अतः वर्तमान आनलाईन नक्शे में लटठा नक्शा अनुसार दुरूस्ती की जाकर ख.नं. 577 व 578 को सही स्थान पर अंकित किया जावे और सरकारी भूमि ख.नं. 578 पर वादी का कोई अतिक्रमण नहीं होने पर पेरोकार सरकार को धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे। साथ में प्रतिवादी सं. 1 से 3 को भी वादी की भूमि में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

12. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा अभिभाषक वादी की बहस से सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि राजस्व कार्मिको द्वारा तहसील सुनेल को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान गलत तरीके से वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के खाते की आराजी के खसरा नक्शा की साईजं, आकार एवं स्थिति तीनो में परिवर्तन कर दिया गया है जिससे पक्षकारो के मध्य अनावश्यक रूप से वाद विवाद उत्पन्न हो रहे है। लटठा नक्शा एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 30.052025 के अनुसार स्पष्ट है कि वादी की भूमि ख.नं. 579 के लगवा उत्तर दिशा में एक आयतकार लम्बी पटटी के रूप में सरकारी ख.नं. 578 स्थित है जो मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। सरकारी ख.नं. 578 के लगवा उत्तर में लगभग वर्गाकार रूप में प्रतिवादी सं. 1 से 3 की आराजी ख.नं. 577 स्थित है। सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको को किसी भी काश्तकार के मूल लटठा नक्शे में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नहीं था फिर भी राजस्व कार्मिको द्वारा नियम विरूद्ध रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण के नक्शे में गलत तरीके से परिवर्तन किया गया जो अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट दुरूस्त किया जाकर पुनः लटठा नक्शा व मौके की स्थिति अनुसार दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

13. पेराकार सरकार प्रतिवादी सं. 4 ने बहस के दौरान अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण से आंशिक सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी आराजी पर मौके पर लटठा नक्शा अनुसार काबिज है लेंकिन तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान सहवन से ख.नं. 577 के स्थान पर 578 और 578 के स्थान पर 577 दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गया है जो गलत है। आगे तर्क किया गया कि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 जमाबंदी अनुसार 2.0361 है. भूमि पर काबिज काश्त है। अतः आनलाईन नक्शे में लटठा नक्शा अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होगा। आगे तर्क किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मध्य स्थित सरकारी भूमि ख. नं. 578 रकबा 0.2276 है. मौके पर वादी या प्रतिवादीगण किसी एक ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। यह सही है कि सरकारी भूमि ख.नं. 578 का विगत समय में सीमाज्ञान नहीं किया गया है। मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। अतः पुनः सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना न्यायोचित होगा।

14. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं पेरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश ग्राम सलोतिया की वादग्रस्त आराजी सं. 2074–77 के अनुसार ख.नं. 578 रकबा 0.2276 है. किस्म बंजड पेराकार सरकार के खाते, ख.नं. 577 रकबा 2.0361 है. प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खाते एवं ख.नं. 579 रकबा 1.9096 है. वादी हिस्सा 1/4 के सहखाते दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश लटठा नक्शा की सत्यप्रति दिनांक 27.11.2024 के अनुसार वादी की आराजी ख.नं. 579 के लगवा उत्तर दिशा में एक लम्बी आयतकार पटटी के रूप में सरकारी भूमि ख.नं. 578 स्थित है जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 3 की आराजी ख.नं. 577 वर्गाकार आकार में सरकारी भूमि के लगवा उत्तर में स्थित है। पेराकार सरकार द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 में बनाये गये नक्शे के अनुसार भी लटठा नक्शा व मौके पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 की आराजी के मध्य एक आंयतकार पटटी के रूप में सरकारी ख.नं. 578 स्थित है। तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 मौके पर भी लटठा नक्शा अनुसार सही स्थिति व रकबे पर काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के आनलाईन नक्शे के अनु[illegible] स्थित खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 579 रकबा 1.90[illegible] है [illegible] लगवा उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण की भूमि ख.नं. 577 रकबा [illegible]03061 है स्थित है। प्रतिवादीगण की भूमि के लगवा उत्तर दिशा [illegible] सरकारी भूमि ख.नं. 578

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.2276 है. स्थित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी ख.नं. 577 व 578 के लटठा नक्शा, आनलाईन नक्शा व मौके की स्थिति में पूर्णतः भिन्नता है। स्पष्ट है कि तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन त्रुटीवश राजस्व कार्मिको ने नक्शे में ख.नं. 577 के स्थान पर 578 एवं ख.नं. 578 के स्थान पर 577 दर्ज कर दिया गया है। पेराकार सरकार तहतसीलदार सुनेल ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 30.04.2025 में स्वयं स्वीकार किया है कि तहसील को आनलाईन करते समय सहवन से ख.नं. 577 व 578 के नक्श में ख.नं. 577 के स्थान पर 578 एवं ख. नं. 578 के स्थान पर 577 दर्ज हो गया था। मौके पर कब्जे अनुसार एवं नक्शे लटठे में दोनो खसरे के रकबे की बरारी/ रकबा मिलान करने से भी उक्त त्रुटी की पुष्टि होती है। अतः नक्शे की त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित होगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादग्रस्त आराजी के राजस्व नक्शे में आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान ख.नं. 577 के स्थान पर 578 व 578 के स्थान पर 577 दर्ज हो जाना साबित होता है और इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर **सहायक भू.अभिलेख अधिकारी** के रूप मे नक्शे की इस त्रुटी को अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एल.आर.एक्ट का अवलोकन निम्नानुसार है –

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

15. वादी द्वारा पेश धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार सुनेल द्वारा [illegible] ख.नं. 578 पर अवैध अतिक्रमण को लेकर वादी [illegible] नोटिस दिनांक 05.11.2012, 13.10.2014, [illegible] 13.10.2018,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

16.11.2021 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि पेरोकार सरकार द्वारा वादी को ख.नं. 578 पर अतिकमी मानकर नोटिस जारी किये है। तहसीलदार/नायब तहसीलदार सुनेल कार्यालय से नोटिस जारी होने के बाद की गई अंतिम कार्यवाही/ निर्णय की प्रतिलिपी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादी का कथन है कि उसने ख.नं. 578 पर कोई अतिकमण नहीं कर रखा है। पेराकार सरकार ने बिना सीमाज्ञान किये मनमाने रूप से वादी को धारा 91 के नोटिस जारी किये है। पेरोकार सरकार ने ख.नं. 578 पर वादी का अतिक्रमण होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। बहस के दौरान स्वयं पेराकार सरकार ने स्वीकार किया है कि विगत कुछ समय से सरकारी ख.नं. 578 का कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ है। तहसीलदार धारा 91 एल.आर.एक्ट के अधीन सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का केवल अवैध अतिकमण साबित होने पर ही कार्यवाही कर सकता है, अतिकमण साबित नहीं होने पर किसी व्यक्ति या काश्तकार के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही करना विधि विरूद्ध है। **यदि पेराकार सरकार द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट में विधि विरूद्ध कार्यवाही की है तो वादी को पेरोकार सरकार के ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट सक्षम न्यायालय अर्थात न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर/जिला कलक्टर झालावाड के समक्ष अपील पेश की जा सकती थी।** अपीलीय न्यायालय में ऐसी कोई अपील पेश किये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों एवं सुस्थापित प्राकृति न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार पेरोकार सरकार को वादग्रस्त आराजी ख.नं. 578 का उचित रूप से सीमाज्ञान कराये जाने के बाद ही अतिकमी पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में होगा।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 577 व 5[illegible] [illegible]बंध में वादी द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए व 209 आर.टी.ए. [illegible] एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:37:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 577 व 578 के संबंध में वादी द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए व 209 आर.टी.एक्ट एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सलोतिया के ख.नं. 577 व 578 के राजस्व नक्श में लटठा नक्शा अनुसार दुरूस्ती करे। सरकार खं.नं. 578 का राजस्व टीम से उभयपक्षकारान की उपस्थित में **पांच दिवस** में सीमाज्ञान कराया जाकर अतिक्रमी के विरूद्ध विधिवत रूप से ही कार्यवाही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

10/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला, झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2023 दायर दिनांक: 20.01.2023

उनवान

1. देवीलाल पुत्र नारायण जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. अंकितकुमार पि. योगेशकुमार जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल
2. अशोककुमार पुत्र भारमल जाति दांगी नि. सलोतिया तहसील सुनेल
3. लीलाबाई पत्नी स्व० योगेशकुमार जाति दांगी नि. सलोतिया तह. सुनेल
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड
5. सरपंच ग्राम पंचायत सलोतिया पं०स० मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

वकील वादी – श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 – श्री सुभाष दांगी

प्रतिवादी सं. 4 – पेरोकार सरकार

प्रतिवादी सं. 5 – एकतरफा

यह मुकदमा आज बारते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

ग्राम सलोतिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 577 व 578 के संबंध में वादी द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए व 209 आर.टी. एक्ट एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सलोतिया के ख.नं. 577 व 578 के राजस्व नक्श में लटठा नक्शा अनुसार दुरूस्ती करे। सरकार ख.नं. 578 का राजस्व टीम से उभयपक्षकारान की उपस्थित में पांच दिव[illegible] सीमाज्ञान कराया जाकर अतिकमी के विरूद्ध विधिवत रूप से ही कार्यवाही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

10/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X.................... मुबालिक.............X............ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ......X...
......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............X................ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner